न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 42/14 (RCMS No. 2014/00082) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

भगवान सिंह पुत्र पतराम जाति जाट निवासी कंजोली तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 31.01.2014

उपस्थितिः—

1. श्री विजय सिंह कुन्तल वकील अपीलान्ट
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य **दिनांकः—13.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 128, 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 383 रकवा 25 एयर, 384 रकवा 12 एयर व 397 रकवा 22 एयर किता 3 रकवा 59 एयर वांके ग्राम कंजोली तहसील व जिला भरतपुर के खातेदार जिनका हाल में रकवा कम दिया है। ख0 नं0 383 में 3 एयर, 384 में 2 एयर व 397 में 3 एयर रकवा साविक के मुकावले कम दिया है तथा हाल ख0 नं0 397 रकवा 22 एयर का रकवा 3 एयर कम कर मौके पर साविक नक्शे के अनुसार नहीं बनाया है। बन्दोवस्त विभाग को रिकार्ड व नक्शे को परिवर्तन करने का अधिकार नही है। दोराने बन्दोवस्त बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने की शक्ति न्यायालय श्रीमान् में निहित है। अतः रकवा एवं नक्शे में दुरूस्ती की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि उनके हाल खसरा नम्बरान से लगे

हुऐ वह कौनसे हाल खसरा नम्बरान है जिनमें गत के मुकावले 8 एयर रकवा अधिक दर्ज रिकार्ड है। अपीलान्ट ने अपने कुल गत व हाल रकवे के अन्तर को वर्णित न कर कुछ खसरा नम्बरान के कथित रकवा कमी को पेश किया है। पडौसी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है। अपीलान्ट ने 28 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा सैटिलमेन्ट समाप्ति के पश्चात उप जिला कलक्टर को धारा 136 एलआरए के तहत रकवा कमी बेशी करने का कोई अधिकार नही मानते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा का दावा करने के लिये निर्देश दिये। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट ने जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था वह हाल नक्शे को गत नक्शे एवं मौके के अनुरूप दुरूस्त करने की बाबत् पेश किया था जिसको राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 से 131 के प्रावधानों में दिया जा सकता है नक्शा दुरूस्ती का अन्य कोई प्रावधान भी नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि बन्दोवस्त संक्रियाऐ बन्द हो जाने के बाद सैटिलमेन्ट आफीसर की सम्पूर्ण शक्तियां एसडीओ में निहित हो जाती है तथा सहायक बन्दोवस्त अधिकारी की शक्तियां तहसीलदार में निहित हो जाती है। इस प्रकार से नक्शा एवं अन्य तकनीकी त्रृटियों को दुरूस्त करने का क्षेत्राधिकार रिपोर्ट तलब कर दुरूस्त करने का एसडीओ को होता है। उनका यह भी तर्क है कि गैर सायल के रूप में तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया है उनका यह दायित्व है कि वह प्रार्थी के रकवा को किस प्रकार दुरूस्त किया जावे, की वावत् रिपोर्ट करनी चाहिये थी। क्योंकि जो गलती प्रार्थी के रकवा पर कम करने एवं मौके के विपरीत नकशा बनाया है, वह सहायक बन्दोवस्त अधिकारी की ही गलती है जिसे साबित करना रैस्पो0 का दायित्व था तथा अपीलान्ट द्वारा यह भली प्रकार साबित कर दिया गया था कि उसका रकवा कम हआ है। इस प्रकार कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलान्ट ने यह नही बताया है कि रकवा किस के खसरा नम्बरान में गया है और न ही उन्हें पक्षकार ही बनाया है। अपीलान्ट ने समस्त खसरा नम्बरान का हवाला भी नही दिया है। अपीलान्ट ने 28 वर्ष बाद धारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उचित नही है। अपीलान्ट को नियमित दावा दायर कर ही अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 128, 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी ख0 नं0 383 रकवा 25 एयर, 384 रकवा 12 एयर व 397 रकवा 22 एयर किता 3 रकवा 59 एयर वांके ग्राम कंजोली तहसील व जिला भरतपुर के खातेदार जिनका हाल में रकवा कम दिया है। ख0 नं0 383 में 3 एयर, 384 में 2 एयर व 397 में 3 एयर रकवा साविक के मुकावले कम दिया है तथा हाल ख0 नं0 397 रकवा 22

एयर का रकवा 3 एयर कम कर मौके पर साविक नक्शे के अनुसार नहीं बनाया है। बन्दोवस्त विभाग को रिकार्ड व नक्शे को परिवर्तन करने का अधिकार नही है। अतः रकवा एवं नक्शे में दुरूस्ती की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलान्ट ने 28 वर्ष बाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलान्ट ने यह नही बताया है कि किस खसरा नम्बरान से लगे हुऐ वह कौनसे हाल खसरा नम्बर में रकवा अधिक है। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में अधिकारों की घोषणा का दावा करने के निर्देश देते हुऐ प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट ने वन्दोवस्त समाप्ति के 28 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में रकवे की कमी पूर्ती के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया जो न्याय की दृष्टि से उचित नही है। यदि अपीलान्ट का रकवा कम है या नक्शे में दुरूस्ती कराना चाहते हैं तो उन्हें सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा दायर कर अनुतोष लेना चाहिये। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है। धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रुत्रियों को, जहॉ दोनों पक्षकार सहमत हों, दुरूस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह विधि सम्मत् है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official